आदेश, वाद सं० 16546/2020, रा० धारा 80(1)
मां मातुरानी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट बनाम सरकार

न्यायालयः–उपजिलाधिकारी
मण्डलः–गोरखपुर जनपद– देवरिया, तहसील– सलेमपुर,
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्याः– T 202005201174760
वाद संख्या– 16540/2020
मॉं मातुरानी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, बनाम सरकार
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, अतंर्गत धारा–80(1)
"अंतिम आदेश"
आदेश तिथिः– 04/11/2020

आदेश

आवेदक मॉं मातुरानी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट्र, ग्रामः– कैरौता, पोस्ट चौरो, पुलिस स्टेशन मेल, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा–80(1) के अन्तर्गत वाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यतः यह कहा है कि ग्रामः– कैरौता, पोस्ट चौरो, पुलिस स्टेशन मेल, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया में स्थित है, जिसका आराजी संख्याः–431 रकबा 1.012 हे०ए० उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कर लगान से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत वाद/आवेदन के माध्यम से तहसील आख्या तलब की गयी। तहसील आख्या दिनांक–11.09.2020 /14.09.2020 जिसे तहसील द्वारा दिनांक–28.09.2020 को अग्रसारित किया गया है, प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्रामः– कैरौता, पोस्ट चौरो, पुलिस स्टेशन मेल, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया में स्थित है जिसका आराजी संख्याः–431 रकबा 1.012 हे0ए0, भूमि पर आवासीय मकान बना है। उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है, इसलिए उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित है।

मैनें तहसील आख्या एंव पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन मे ग्रामः– कैरौता, पोस्ट चौरो, पुलिस स्टेशन मेल, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया की उद्धरण खतौनी फ0 1427–1432 मौके का दृष्टिचित्र प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत उद्धरण खतौनी में आवेदक का नाम आराजी सं0–431 में दर्ज है। अवेदक द्वारा भी इस आशय का शपतपत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त भूमि का उपयोग पूर्णतः आवासीय रूप में किया जाता है एवं विवादित भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है एवं जो भी साक्ष्य दिया गया है, वह सही एवं सत्य है। आवेदिक द्वारा न्याय में शुल्क 3970/–रूपये ट्रेजरी चालान संख्या–3500/01/एल0/900046 व सहखातेदार शुल्क 1000/–रूपया ट्रेजरी चालान संख्याः–3500/01/एल 900050 दिनांक–20.10. 2020 को जमा किया गया है। जो संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या एवं मौके के दृष्टिचित्र के अवलोकन से विदित है कि आवेदक द्वारा कृषि/मत्सय, पशुपालन, बागवानी आदि से इतर प्रश्नगत भूमि के रकबा 1.012 हे0, जिसमें आवासीय मकान बनाकर काबिज है, ऐसी स्थिति में सहखातेदारों की अनापत्ति एवं तहसील की उक्त दिनांकित में आराजी संख्याः–431 रकबा 1.012 हे0ए0 भूमि को अकृषिक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

अतः तहसील आख्या दिनांक– 11.09.2020 /14.09.2020 जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक–28.09.2020 को अग्रसारित किया गया है, के अनुरूप ग्रामः– कैरौता, पोस्ट चौरो, पुलिस स्टेशन मेल, तहसील सलेमपुर जिला देवरिया की खतौनी फसली 1427 लगायत 1432 वर्ष के आराजी संख्या–431 कुल रकबा 1.012 हे0ए0, भूमि जो मॉं मातुरानी देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट्र, का है, को कृषि, बागवानी, पशुपालन, (जिसमें कुक्कुर पालन व मत्सय पालन भी शामिल है) से इतर आवासीय महत्व की होने के उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अन्तर्गत अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। प्रस्तावित गाटें का कोई भी अंश भूमि अधिग्रहण कि किया में है तो वह अश इस आदेश मुक्तर होगा प्रस्तावित गाटें के विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा साथ ही अभिलेखों में अमलदामद हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार सलेमपुर व उप निबन्धक सलेमपुर को प्रेषित की जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली, दाखिल दफ्तर हो।

सौरम सिंह
उपजिलाधिकारी
सलेमपुर।

सत्य प्रतिलिपि
21/4/23